आदेश की तिथि	हस्ताक्षरयुक्त आदेश	कार्यालय अभ्युक्ति

वाद संख्या–09 / 2024

11.03.2024

अभिलेख उपस्थापित। प्रथम पक्ष की ओर से परिवादी श्री तपेश्वर सिंह एवं अन्य, ग्राम+पंचायत–नावाटोली, प्रखण्ड–कोलेबीरा, जिला–सिमडेगा दूरभाष के माध्यम से उपस्थित। द्वितीय पक्ष की ओर से जिला आपूर्ति पदाधिकारी, सिमड़ेगा उपस्थित।

जिला आपूर्ति पदाधिकारी, सिमडेगा सशरीर उपस्थित हैं, जबकि शिकायतकर्ता दूरभाष के माध्यम से उपस्थित रहे। शिकायतकर्ता ने अपने मूल आवेदन एवं आज की सुनवाई में इस बात का उल्लेख किया है कि एक तो उन्हें अगस्त माह के बाद नवंबर माह में सिर्फ एक माह का राशन दिया गया है, जबकि हर माह कार्डधारियों से ठेप्पा ले लिया जाता है। शिकायतकर्ता ने इस बात का भी उल्लेख अपने आवेदन में किया है कि 03 से 06 महीने तक का कार्डधारियों का राशन बाकी है।

आयोग जिला आपूर्ति पदाधिकारी, सिमडेगा को निर्देश देता है कि शिकायतकर्ता की सभी समस्याओं का निदान 07 दिनों के अन्दर करना सुनिश्चित करें। साथ ही आयोग जिला आपूर्ति पदाधिकारी को यह निर्देश भी देता है कि दिनांक–13.03.2024 को दिन के 11 बजे कोलेबीरा प्रखण्ड के ग्राम+पंचायत–नावाटोली में जनसुनवाई आयोजित करें, जिसमें उस पंचायत के सभी लाभुक उपस्थित हों और सम्बन्धित राशन डीलर भी उपस्थित हों, जहाँ सबकी समस्याएँ सुन कर समस्याओं का समाधान करना सुनिश्चित किया जाए और इस पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी कराना जिला आपूर्ति पदाधिकारी सुनिश्चित करेंगे और वीडियोग्राफी की प्रति अगली सुनवाई में आयोग को समर्पित करेंगे। मामले में सुनवाई की अगली तिथि दिनांक–28.03.2024 को निर्धारित की जाती है।

आदेश की प्रति उभयपक्ष को भेजें। दिनांक–28.03.2024 को रखें।

(शबनम परवीन)
सदस्य,
राज्य खाद्य आयोग, राँची।

(हिमांशु शेखर चौधरी)
अध्यक्ष,
राज्य खाद्य आयोग, राँची।

E:\Ziyaul\Vinod Sir\Court order, notice & court note\Commission order.docx162